इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2021—आश्विन 9, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

I, Prashant Shukla hereby declares that in my all government documents my name PRASHANT SHUKLA is mentioned but in my 10th class marksheet my name PRASHANT is mentioned, no surname is mentioned.

I hereby declares that in future I will be identified by my full name, that is PRASHANT SHUKLA.

Old Name
(PRASHANT)

New Name
(PRASHANT SHUKLA)
Add : 89-C, IDA Scheme-134,
Near Bank of Baroda, Indore

(G-547)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि मुझे अब तक पवन पिता रामेश्वरदास बैरागी के नाम से जाना जाता रहा है. मैं, वैष्णव निवास महावीर कॉलोनी कानवन, तह. बदनावर (धार) म.प्र. भारत का रहने वाला हूँ. उपनाम (सरनेम) परिवर्तन के बाद मुझे पवन वैष्णव पिता रामेश्वरदास बैरागी के नाम से जाना, पहचाना और लिखा, पढ़ा जाय. सर्वसाधारण सूचित हों.

पुराना नाम
(पवन बैरागी)

नया नाम
(पवन वैष्णव)
पिता— रामेश्वरदास बैरागी,

(G-548)

नाम परिवर्तन

मैं, चन्द्रभूषण मिश्रा पिता श्री शारदा प्रसाद मिश्रा वर्तमान में छटवी बटालियन एस.ए.एफ रांझी, जबलपुर में ए.एस.आई के पद पर कार्यरत हूँ मेरी सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ में अंग्रेजी में मेरा नाम (CHANDRA BHOOSHAN) जो कि गलत है. मेरा सही एवं वास्तविक नाम अंग्रेजी में (CHANDRA BHUSHAN MISHRA) जो कि मेरे अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेनकार्ड में है.

पुराना नाम	नया नाम
(CHANDRA BHOOSHAN)	**(CHANDRA BHUSHAN MISHRA)**

(G-549)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स– सतना राइस मील फर्म पंजीयन क्र. 05–26–02–0014–13, दिनांक 25 अक्टूबर 2013 पता– ग्राम सगौनी, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.) यह कि फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुए दिनांक 01 अप्रैल 2021 से फर्म के पार्टनर न. 03 श्री सौरभ सिंह बघेल एवं पार्टनर न. 04 श्री शषांक सिंह दिनांक 01 अप्रैल 2021 से अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् (सेवानिवृत्त) हो गये हैं. जिसका आज दिनांक से फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेनादेना नहीं होगा. शेष भागीदार यथावत हैं. अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें.

द्वारा– फर्म मेसर्स सतना राइस मील,
प्रभा सिंह,
(पार्टनर)
पता– ग्राम सगौनी, जिला सतना (म.प्र.).

(G-550)

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि अंजनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स (भागीदारी फर्म) जिसका गठन 29 जून 2021 को 7, शाकम्बरी ऐवेन्यू इंदौर म.प्र. कार्यालय के पते पर हुआ था एवं उक्त फर्म पंजीयन 03–27–01–0157–21 है. गठन के समय फर्म में दो भागीदार थे. 1. लाखन चौहान पि. श्री प्रहलाद सिंह चौहान, 2. हिमांशु मालवीय पि. श्री कमलेश मालवीया.

फर्म में दिनांक 11 सितम्बर 2021 को एक संशोधन विलेख के माध्यम से तन्मय मालवीय पि. श्री कमलेश मालवीय को भागीदारी फर्म में शामिल किया गया है एवं इस दिनांक को ही हिमांशु मालवीया पि. श्री कमलेश मालवीय को फर्म से निवृत किया गया है. यह संशोधन दिनांक 11 सितम्बर 2021 से ही प्रभावशील हो गया है. संशोधन विलेख के पश्चात् वर्तमान में फर्म अंजनि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में 1. लाखन चौहान पि. श्री प्रहलाद सिंह चौहान, 2 तन्मय मालवीय पि. श्री कमलेश मालवीय भागीदार हैं.

वास्ते अंजनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स,
लाखन चौहान S/o प्रहलाद सिंह चौहान,
पालिया, हैडर, इन्दौर
तनमय S/o कमलेश मालवीय,
शिवनगर, इन्दौर
(पार्टनर).

(G-551)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मे. शिव मिनरल्स, पता– वार्ड नं. 1, फब्बारा चौराहा, बस स्टैण्ड, दुकान नं. 03 छतरपुर (म.प्र.) है. जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एफ.–225 सन् 2003 दिनांक 17 जुलाई 2003 है. दिनांक 01 जुलाई 2021 से फर्म के पते में परिवर्तन किया जा रहा है एवं फर्म का नया पता 06– के.एम. सागर रोड, ढ़ड़ारी, छतरपुर (म.प्र.) होगा. दिनांक 01 जुलाई 2021 से ही भागीदार 1. श्री प्रिंश गुप्ता, 2. श्री राकेश गुप्ता, 3. श्री खुमना अहिरवार, 4. श्री हरिदास अहिरवार फर्म से स्वेच्छा से पृथक हो रहे हैं एवं 01 जुलाई 2021 से नए भागीदार के रूप में (1) श्री अजयपाल सिंह परमार, (2) श्री यशपाल सिंह परमार, (3) श्री नितिश चतुर्वेदी, (4) श्री निखिल चतुर्वेदी को सम्मिलित किया जा रहा है. अतः यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो अपना दावा कृपया 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें. इस अंतराल के बाद कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

मेसर्स शिव मिनरल्स,
निखिल चतुर्वेदी,
(पार्टनर)
नया पता– 06– के.एम. सागर रोड,
ढ़ड़ारी, छतरपुर (म.प्र.).

(G-552)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स कैलादेवी बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स जिसका पता– हा. न. 368,बी, जिवाजी नगर थाटीपुर, ग्वालियर है और पंजीयन क्रमांक 02–42–01–00197–11 दिनांक 04 नवम्बर 2011 है. जिसमें दिनांक 09 अगस्त 2021 को भागीदार श्री श्याम बाबू शर्मा पुत्र श्री रामदत्त शर्मा निवासी 359, जिवाजी नगर ठाटीपुर, ग्वालियर एवं श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री कालीचरण शर्मा निवासी ग्राम कुतवार जिला मुरैना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं. इसी दिनांक 09 अगस्त 2021 को 1. श्री राधवेन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री राम शर्मा निवासी– 368 जिवाजी नगर ठाटीपुर, ग्वालियर 2. श्रीमती ममता शर्मा पत्नि श्री राम शर्मा निवासी– 368 जिवाजी नगर ठाटीपुर ग्वालियर, 3. श्रीमती प्रिया शर्मा पत्नि श्री राघवेन्द्र उपाध्याय निवासी– 368 जिवाजी नगर ठाटीपुर, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

मैसर्स श्री कैलादेवी बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स,
श्रीराम शर्मा,
(भागीदार)
पता– हा.न. 368, जिवाजी नगर, थाटीपुर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-553)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ए.सी.सी. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जो 70 गांधी नगर, शिवपुरी में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02–41–01–00068–09 दि. 04 अगस्त 2009 है इसमें दिनांक 01 अप्रैल 2020 को भागीदार 1. मोहम्मद सिद्धीक पुत्र श्री अजीमुद्दीन काजी, निवासी गांधीनगर, शिवपुरी, 2. श्रीमती नसीम बेगम पत्नि श्री एस.डब्ल्यू अली, निवासी गांधीनगर, शिवपुरी, 3. श्रीमती नाजमा बेगम पत्नि श्री वासित अली, निवासी गांधीनगर, शिवपुरी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गए हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मैसर्स ए.सी.सी. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
सैयद वासित अली,
(भागीदार)
पता– 70, गांधी नगर, शिवपुरी.

(G-554)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स विशाल इन्टरप्राइजेस स्थित 71, ग्राउण्ड फ्लोर, साडा कॉलोनी, राधौगढ़ जिला गुना जिसका पंजीयन क्रमांक 02–40–04–0159–18 दिनांक 08 अक्टूबर 2018 है. जिसमें दिनांक 01 दिसम्बर 2020 को श्रीमती रामदेव बाई पत्नि श्री पर्वत सिंह जाटव, निवासी 270, गली न. 05, ग्राम आवन, तहसील राधौगढ़, जिला गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

फर्म मैसर्स विशाल इन्टरप्राइजेस ,
राजू कुशवाह,
(भागीदार)
पता– 71, फर्स्ट फ्लोर, साडा कॉलोनी,
राधौगढ़, जिला गुना (म.प्र.).

(G-555)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री राधारानी स्टोन क्रेशर पता ग्राम मन्हेटी तह. ईसागढ़, जिला अशोकनगर जो कि पार्टनर श्री सचिन यादव निवासी ग्राम व पोस्ट महुअन तह. ईसागढ़, जिला अशोकनगर, राजकुमार सिंह यादव निवासी ग्राम व पोस्ट गहोरा तह. ईसागढ़, जिला अशोकनगर, अमन यादव निवासी खतौरा तह. बदरवास, जिला शिवपुरी द्वारा दिनांक 19 सितम्बर 2019 को रजिस्टर्ड फर्म बनायी गयी. जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 01–47–02–0181–19 सन् 2019–20 है. दिनांक 13 अगस्त 2021 को राजकुमार सिंह यादव पुत्र श्री देवेन्द्र यादव निवासी ग्राम व पोस्ट गहोरा तह. ईसागढ़, जिला अशोकनगर एवं अमन यादव पुत्र श्री महेश यादव निवासी ग्राम खतौरा तह. बदरवास जिला शिवपुरी ने फर्म को स्वेच्छा से छोड़ दिया है आज दिनांक 13 अगस्त 2021 को नये पार्टनर राजेश कुमार जैन पुत्र श्री सुरेश कुमार जैन निवासी सेठ मोहल्ला वार्ड न. 05 ईसागढ़, तह. ईसागढ़, जिला अशोकनगर पार्टनरशिप फर्म में नये पार्टनर हो गये हैं जिनका फर्म की चल–अचल संपत्ति एवं लाभ–हानि में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है इसी प्रकार दिनांक 13 अगस्त 2021 से सचिन यादव पुत्र श्री जगदीश यादव, निवासी ग्राम व पोस्ट महुअन तह. ईसागढ़, जिला अशोकनगर जो कि पूर्व में 25 प्रतिशत के पार्टनर थे अब 50 प्रतिशत के पार्टनर फर्म की चल अचल संपत्ति में है. दिनांक 13 अगस्त 2021 से यह दोनों राजेश कुमार जैन और सचिन यादव फर्म श्री राधारानी स्टोन क्रेशर में पार्टनर होंगे.

दिनांक 13 अगस्त 2021

प्रेषक ,
राजेश कुमार जैन,
(ठेकेदार).

(G-556)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स माँ नर्मदा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जिसका पता– वी.आई.पी. नगर अमायन मेहगांव, भिण्ड है और पंजीयन क्रमांक 02–43–03–00088–14 दिनांक 15 जुलाई 2014 है. जिसमें दिनांक 08 जुलाई 2020 को भागीदार श्री रघुराज सिंह सिकरवार पुत्र श्री महावीर सिंह सिकरवार, निवासी मेहगांव भिण्ड एवं श्री गजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री जवान सिंह चौहान, निवासी बस स्टैण्ड के पास अमायन, जिला भिण्ड अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं. इसी दिनांक 08 जुलाई 2020 को श्री रामवीर सिंह पुत्र श्री कुबेर सिंह निवासी वी.आई.पी. नगर अमायन मेहगांव, भिण्ड फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

मैसर्स माँ नर्मदा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ,
बाल बहादुर सिंह,
(भागीदार)
पता– वी.आई.पी. नगर, अमायन, मेहगांव, भिण्ड.

(G-557)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम सलिल कुमार लिटौरिया पुत्र श्री वीरेंद्र नारायण शर्मा उपयोग किया जा रहा था जिसे मैंने उपनाम परिवर्तित कर सलिल कुमार शर्मा पुत्र श्री वीरेंद्र नारायण शर्मा

कर उपयोग किया जा रहा है. मेरे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सलिल कुमार शर्मा पुत्र वीरेंद्र नारायण शर्मा पढ़ा एवं अंकित समझा जाये.

पुराना नाम　　नया नाम

(सलिल कुमार लिटौरिया)　　(सलिल कुमार शर्मा)

पता– 19 सेक्टर, शांति निकेतन नियर,
चेतक ब्रिज, भोपाल (म.प्र.).

(G-568)

उपनाम परिवर्तन

मैं, बी.एल. सिंह आत्मज श्री सी.एल. सिंह आयु वयस्क, निवासी मकान नम्बर 27, कंचन नगर, बी.डी.ए. रोड, निकट अवधपुरी भोपाल निवासरत् , संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हूँ. यह कि बी.एल. शाक्य मेरा नाम/सरनेम है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक दस्तावेजों में शासकीय सेवा रिकार्ड में दर्ज होकर सही व सत्य है. मैं, स्वेच्छानुसार अब अपना नाम बी.एल. शाक्य के स्थान पर बी.एल. सिंह आत्मज श्री सी.एल. सिंह के नाम व सरनेम से ही जाना व पहचाना जाऊंगा. समस्त अभिलेखों में इसी नाम से सुना व समझा जाए.

पुराना नाम　　नया नाम

(बी.एल. शाक्य)　　(बी.एल. सिंह)

सहायक संचालक, कृषि
संचालनालय, कृषक कल्याण एवं
कृषि विकास, भोपाल (म.प्र.).

(G-569)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह से पूर्व मेरा नाम रेखा तलरेजा, पुत्री डॉ. श्यामसुंदर तलरेजा था. श्री मनीष सितलानी से विवाह के उपरान्त अब मेरा नाम भूमि सितलानी, पत्नी श्री मनीष सितलानी हो गया है. अतः भविष्य में मुझे भूमि सितलानी पत्नी श्री मनीष सितलानी के नाम से ही जाना व पहचाना जाए

पुराना नाम　　नया नाम

(रेखा तलरेजा)　　(भूमि सितलानी)

पुत्री डॉ. श्यामसुंदर तलरेजा　　पत्नी श्री मनीष सितलानी

पता– 51, काटजू कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.).

(G-570)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स गोविन्द कन्सट्रक्शन कम्पनी, 337–बी, जीवाजी नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) के पार्टनर श्री कैलाश नारायण शर्मा पुत्र स्व. श्रीलाल शर्मा, निवासी–: डी–523, सुरेश नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) का स्वर्गवास दिनांक 13 मई 2021, को हो जाने के कारण फर्म में संशोधन कर श्री कैलाश नारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री श्रीलाल शर्मा, को फर्म से पृथक कर दिया है एवं इसी दिनांक को श्री नीरज शर्मा पुत्र स्व. श्री कैलाश नारायण शर्मा, निवासी– डी.–523, सुरेश नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं साथ ही नवीन साझेदार श्री आदित्य शर्मा पुत्र स्व. श्री विनोद शर्मा निवासी– 337–बी, जीवाजी नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) 13 मई 2021 को फर्म में सम्मिलित किया है शेष सभी पार्टनर भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होगें और ये फर्म के चालू रहने वाले सभी साझेदारों को स्वीकार है

मैसर्स गोविन्द कन्सट्रक्शन कम्पनी ,
विजय शर्मा,
(पार्टनर)
पता– 337–बी, जीवाजी नगर, ठाटीपुर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-571)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश

मण्डलेश्वर, दिनांक 04 अगस्त, 2021

फार्म–चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

रा.प्र.क्र.0002–बी–113(1)–2021–22. सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुनिल पिता कैलाश यादव निवासी उंकारदतत कॉलोनी महेश्वर तह. महेश्वर, जिला खरगोन म.प्र. न्यासधारी एवं अध्यक्ष द्वारा ''स्वामी श्री भक्तानंदजी सरस्वती पारिमार्थिक न्यास महेश्वर'' पता श्री भक्तानंदजी आश्रम वार्ड नं. 02 नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर तहसील महेश्वर, जिला खरगोन म.प्र. के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है.

अतः मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 31 अगस्त 2020 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा उक्त मामलें की जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

उक्त आवेदन–पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति / सुझाव को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम	:	''स्वामी श्री भक्तानंदजी सरस्वती पारिमार्थिक न्यास महेश्वर''. तहसील महेश्वर, जिला खरगोन (म.प्र.).
2. न्यास का पता	:	श्री भक्तानंदजी आश्रम वार्ड नं. 02 नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, (म.प्र.).
3. चल सम्पत्ति	:	12,221 / –
4. अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

यह सूचना आज दिनांक 04 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

(G-558)

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, शहर वृत्त, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 03 अगस्त 2021

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

क्र. 473–री–1–न.श.–2021.– आवेदक श्री शेख काईद जौर शेख नजमुद्दीन राजा, निवासी ए–11, बादशाह अपार्टमेंट, कोह–ए–फिजा, भोपाल द्वारा "दाउदी बोहरा जमात ट्रस्ट–हुसैनी मोहल्ला, भोपाल" को ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन–पत्र सूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 20 अगस्त 2021 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी

व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :–

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	"दाउदी बोहरा जमात ट्रस्ट–हुसैनी मोहल्ला, भोपाल"
कार्यालय का पता	:	हुसैन मस्जिद, पीरगेट, भोपाल
अचल सम्पत्ति	:	कुछ नहीं
चल सम्पत्ति	:	21,053/– (इक्कीस हजार तिरेपन रुपये)

जमील खान, रजिस्ट्रार.

(G-559)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास बण्डा, जिला सागर

बण्डा, दिनांक 18 अगस्त 2021

रा.प्र.क्र. 2–बी–113(1)–2020–21. ग्राम रतनपुर, तहसील बण्डा.

रामदास पिता प्रताप सिंह लोधी, अध्यक्ष
निवासी रतनपुर, तहसील शाहगढ़, जिला सागर, मध्यप्रदेश. ....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक

क्र./क/Q/रीडर–1/2021.– सर्वसाधारण को इश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक रामदास पिता प्रताप सिंह लोधी, निवासी रतनपुर, तहसील शाहगढ़, जिला सागर, मध्यप्रदेश द्वारा मौजा ग्राम रतनपुर में स्थित श्री श्री 1008 श्री देव हनुमान जी महाराज शाला बाबा मंदिर, लोक न्यास, ग्राम रतनपुर, तहसील शाहगढ़, न्यास एवं न्यासधारी के न्यास मध्यप्रदेश अधिनियम की धारा 4 के अधीन लोक न्यास का पंजीयन कराने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है :–

[आवेदन अंर्त. धारा 4 (2) म.प्र.लो.न्या.अधि. 1951 एवं नि. 4 (2) प्रा. 3 म.प्र.लो.न्या. नियम 1962]

लोक न्यास का नाम–"श्री श्री 1008 श्री देव हनुमान जी महराज शाला बाबा मंदिर, लोक न्यास, ग्राम रतनपुर" तहसील शाहगढ़, जिला सागर, मध्यप्रदेश.

1. मैं/हम– (1)–रामदास लोधी (कार्यकारी अध्यक्ष) पिता श्री प्रताप सिंह लोधी, नि. रतनपुर
2. देवी सिंह लोधी (कार्यकारी उपाध्यक्ष) पिता श्री जनक सिंह लोधी, नि. रतनपुर
3. प्रदीप श्रीवास्तव (कार्यकारी कोषाध्यक्ष) पिता श्री बद्रीप्रसाद श्रीवास्तव, नि. रतनपुर, हाल पता वार्ड नंबर 11, बण्डा, बेलई.
4. महेन्द्र प्रसाद पाठक (कार्यकारी सचिव) पिता श्री अवधबिहारी पाठक, नि. रतनपुर
5. रामदयाल आठिया (कार्यकारी सदस्य) पिता श्री गिरवर आठिया, नि. रतनपुर
6. दुर्ग सिंह लोधी (कार्यकारी सदस्य) पिता श्री धन सिंह लोधी, नि. रतनपुर
7. महताप सिंह लोधी (कार्यकारी सदस्य) पिता श्री सूरत सिंह लोधी, नि. रतनपुर
8. लोटन प्रजापति (कार्यकारी सदस्य) पिता श्री इमरतलाल प्रजापति, नि. रतनपुर
9. उधम सिंह लोधी (कार्यकारी सदस्य) पिता श्री गनेश सिंह लोधी, नि. रतनपुर

10. पिटू रैकवार (कार्यकारी सदस्य) पिता श्री रतीराम रैकवार, नि. रतनपुर

11. राकेश सेन (कार्यकारी सदस्य) पिता श्री रामसेवक सेन, नि. रतनपुर

(एक) लोक न्यास की उत्पत्ति, स्वरूप एवं उद्देश्य–

यह सर्व विदित है कि श्री श्री 1008 श्री देव हनुमान जी महराज शाला बाबा मंदिर, रतनपुर एक अति प्राचीन सार्वजनिक मंदिर है, इस मंदिर में प्राचीन समय से हिन्दू सनातन धर्मावलंबी सभी ग्रामवासी सार्वजनिक रूप से पुण्य अर्जन हेतु धार्मिक, पूर्त, नैतिक, सामाजिक, पर्यावर्णीय लोक हित के उद्देश्य से इस मंदिर में नैमित्यक पूजा–अर्चना, यज्ञ–हवन, कथा–पुराण, भजन–संकीर्तन, रामायण–पाठ इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान तथा श्रीरामनवमी, श्रीहनुमान जयंती, नवरात्रि, दीपावली, होली, झूलोत्सव, रक्षाबंधन, हरियाली तीज इत्यादि धार्मिक पर्व, त्यौहार, महोत्सव आदि सार्वजनिक रूप से आयोजित कर मनाते आ रहे हैं. उपरोक्त मंदिर मौजा ग्राम महूना प.ह.नं. 47, रा.नि.मं. व तह. शाहगढ़, जिला सागर में ख.नं. 96 पर स्थित है, उपरोक्त मंदिर की आय का कोई स्रोत नहीं होने से एवं धार्मिक, सामाजिक अनुष्ठानों, गौशाला में होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु श्री हनुमान जी मंदिर, ग्राम रतनपुर को बाग–बगीचा, कृषि हेतु वयोवृद्ध 85 वर्षीय दानवीर श्रीयुत स्व. जगतनारायण श्रीवास्तव पिता स्व. श्री मुरलीधर श्रीवास्तव ने अपनी पुत्री एवं नाती श्री प्रदीप श्रीवास्तव एवं ग्राम रतनपुरवासियों के समक्ष सार्वजनिक घोषणा करते हुये अपनी भूमि स्वामी मद की पैतृक जमीन जो कि मौजा ग्राम, रतनपुर प.ह.नं. 46 सेमरारामचंद्र रा.नि.मं. व तहसील शाहगढ़, जिला सागर में स्थित ख.नं. 328, 333, रकबा क्रमशः 0.44, 0.40 हेक्टे., कुल मेड़ 2, कुल रकबा 0.84 हेक्टे. भूमि श्री देव हनुमान जी शाला बाबा मंदिर को दान देने की घोषणा की थी, उसके उपरांत श्री देव हनुमान जी महराज शाला बाबा मंदिर, रतनपुर के पक्ष में दान–पत्र रजिस्टर्ड कराने हेतु रतनपुर ग्रामवासियों ने अभिराम उर्फ अमर सिंह लोधी, निवासी रतनपुर को दानदाता के साथ उप–पंजीयक कार्यालय बण्डा भिजवाया था और दानदाता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दान–पत्र दिनांक 24 सितम्बर 2005 निष्पादित कर उसी दिन कब्जा खास, मालिकाना श्री देव हनुमान जी महाराज शाला बाबा मंदिर रतनपुर को सौंप दिया था, चूंकि वर्तमान में उक्त भूमि पड़ती डली है तथा दानदाता के पुण्यार्थ सार्वजनिक धार्मिक पूर्त, गौशाला, नैतिक, सामाजिक, पर्यावर्णीय, बाग–बगीचा, कृषि आदि लोक हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस न्यास का पंजीयन कराया जा रहा है. दानगृहीता श्री देव हनुमान जी मंदिर को प्राप्त भूमि में श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर, संरक्षक/प्रबंधक होंगे.

(दो) वह स्थान जहां लोक न्यास का प्रधान कार्यालय या कारोबार का प्रधानस्थान स्थित है–

प्रधान कार्यालय का पता–श्री श्री 1008 श्री देव हनुमान जी महाराज शाला बाबा मंदिर ग्राम रतनपुर पोस्ट महुना, तहसील शाहगढ़, जिला सागर मध्यप्रदेश.

(तीन) कार्यकारी न्यासधारी और प्रबंधक का नाम उनके पते सहित–

कार्यकारी पदाधिकारी/सदस्य सूची (अ)

1. रामदास लोधी (कार्यकारी अध्यक्ष) पिता श्री प्रताप सिंह लोधी, निवासी रतनपुर पोस्ट महुना, तहसील शाहगढ़, जिला सागर मध्यप्रदेश.
2. देवी सिंह लोधी (कार्यकारी उपाध्यक्ष) पिता श्री जनक सिंह लोधी, निवासी रतनपुर पोस्ट महुना, तहसील शाहगढ़, जिला सागर मध्यप्रदेश.
3. प्रदीप श्रीवास्तव (कार्यकारी कोषाध्यक्ष) पिता श्री बद्रीप्रसाद श्रीवास्तव, निवासी रतनपुर पोस्ट महुना, तहसील शाहगढ़, जिला सागर मध्यप्रदेश हाल पता वार्ड नंबर 11 बण्डा बेलई, जिला सागर मध्यप्रदेश.
4. महेन्द्र प्रसाद पाठक (कार्यकारी सचिव) पिता श्री अवधबिहारी पाठक, निवासी रतनपुर पोस्ट महुना, तहसील शाहगढ़, जिला सागर मध्यप्रदेश.
5. रामदयाल आठिया (कार्यकारी सदस्य) पिता श्री गिरवर आठिया, निवासी रतनपुर पोस्ट महुना, तहसील शाहगढ़, जिला सागर मध्यप्रदेश.
6. दुर्ग सिंह लोधी (कार्यकारी सदस्य) पिता श्री धन सिंह लोधी, निवासी रतनपुर पोस्ट महुना, तहसील शाहगढ़, जिला सागर मध्यप्रदेश.
7. महताप सिंह लोधी (कार्यकारी सदस्य) पिता श्री सूरत सिंह लोधी, निवासी रतनपुर पोस्ट महुना, तहसील शाहगढ़, जिला सागर मध्यप्रदेश.

8. लोटन प्रजापति (कार्यकारी सदस्य) पिता श्री इमरतलाल प्रजापति, निवासी रतनपुर, पोस्ट महुना, तहसील शाहगढ़, जिला सागर, मध्यप्रदेश.
9. उधम सिंह लोधी (कार्यकारी सदस्य) पिता श्री गनेश सिंह लोधी, निवासी रतनपुर, पोस्ट महुना, तहसील शाहगढ़, जिला सागर, मध्यप्रदेश.
10. पिटू रैकवार (कार्यकारी सदस्य) पिता श्री रतीराम रैकवार, निवासी रतनपुर, पोस्ट महुना, तहसील शाहगढ़, जिला सागर, मध्यप्रदेश.
11. राकेश सेन (कार्यकारी सदस्य) पिता श्री रामसेवक सेन, निवासी रतनपुर, पोस्ट महुना, तहसील शाहगढ़, जिला सागर, मध्यप्रदेश.

आजीवन सदस्य सूची (ब)

वर्तमान में कोई नहीं है. संलग्न नियमावली अनुसार बन सकते हैं.

साधारण सदस्य सूची (स)

1. श्री हरीराम पटैल पिता श्री धोकल पटैल हस्ता.
2. श्री मुलू सिंह लोधी पिता श्री मोहन लोधी हस्ता.
3. श्री गोविन्द सिंह लोधी पिता श्री उमराव हस्ता.
4. श्री हरिशंकर मिश्रा पिता श्री अयोध्या प्रसाद हस्ता.
5. श्री बली सिंह लोधी पिता श्री किशोरी हस्ता.
6. श्री कमोद सिंह लोधी पिता श्री उमराव सिंह हस्ता.
7. श्री नब्बू पिता श्री रामलाल हस्ता.
8. श्री इमरतलाल प्रजापति पिता श्री भुजबल हस्ता.
9. श्री सूरत सिंह पिता श्री गोरेलाल हस्ता.
10. श्री रघुराज पिता श्री धीरत सींग हस्ता.
11. श्री हरनाम पिता श्री रामप्रसाद हस्ता.
12. श्री वीरन पिता श्री अर्जुन हस्ता.
13. श्री हरिसिंह पिता श्री भगुन्त सींग हस्ता.
14. श्री नत्थू सिंह पिता श्री हीरालाल हस्ता.
15. श्री साहब सिंह पिता श्री रघवीर हस्ता.
16. श्री सीताराम रैकवार पिता श्री लक्ष्मन हस्ता.
17. श्री मिठ्ठू पिता श्री खलक हस्ता.
18. श्री संतोष सिंह आठिया पिता श्री पुन्टी हस्ता.
19. श्री अंगद आठिया पिता श्री सरजू हस्ता.
20. श्री पिटू रैकवार पिता श्री रतीराम हस्ता.
21. श्री गनेश पिता श्री तिजई हस्ता.
22. श्री भारत पिता श्री तिजई हस्ता.
23. श्री तखत सिंह पिता श्री जनक सींग हस्ता.
24. श्री इन्द्राज पिता श्री भगवान सींग हस्ता.

25. श्री राजकुमार पिता श्री सूरत सींग हस्ता.
26. श्री भरत सिंह पिता श्री नब्बू सींग हस्ता.
27. श्री गब्बर सिंह पिता श्री हरनाम सींग हस्ता.
28. श्री अधार सिंह पिता श्री धनसींग हस्ता.
29. श्री हनमत सिंह पिता श्री रामप्रसाद हस्ता.
30. श्री जयराम पिता श्री धीरत सींग हस्ता.
31. श्री थान सिंह पिता श्री कीरत सींग हस्ता.
32. श्री हम्मीर सिंह पिता श्री मुलू सींग हस्ता.
33. श्री दरयाव सिंह पिता श्री रंधीर सींग हस्ता.
34. श्री सरदार सिंह पिता श्री गजराज हस्ता.
35. श्री चेतू सिंह पिता श्री धीरत सींग हस्ता.
36. श्री धनीराम पाठक पिता श्री अवधबिहारी हस्ता.
37. श्री रामप्यारे पिता श्री डालसींग हस्ता.
38. श्री प्रताप सिंह पिता श्री हल्के सींग हस्ता.
39. श्री इमरत सिंह पिता श्री जालम सींग हस्ता.
40. श्री अरविन्द सिंह पिता श्री हिरबल सींग हस्ता.
41. श्री मलखान सिंह पिता श्री नारान सींग हस्ता.
42. श्री मान सींग पिता श्री भैयालाल हस्ता.
43. श्री कल्यान सिंह पिता श्री उमराव सींग हस्ता.
44. श्री रमेश सिंह पिता श्री प्रताप सींग हस्ता.
45. श्री गोवर्धन सिंह पिता श्री नब्बू सींग हस्ता.
46. श्री अशोक सिंह पिता श्री दरयाव सींग हस्ता.
47. श्री शेर सिंह पिता श्री प्रान सींग हस्ता.

सभी निवासी ग्राम रतनपुर, पोस्ट महुना, तहसील शाहगढ़, जिला सागर, मध्यप्रदेश.

सम्माननीय/पदेन पदाधिकारी/सदस्य सूची (द)

1. सम्माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर, जिला सागर (पदेन प्रबंधक).
2. श्रीमान पंजीयक एवं अनुविभागीय राजस्व अधिकारी महोदय, बण्डा (पदेन सदस्य).
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय, शाहगढ़ (पदेन सदस्य).
4. श्रीमान सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत सेमरारामचंद्र (पदेन सदस्य).
5. श्रीमान सचिव महोदय, ग्राम पंचायत सेमरारामचंद्र (पदेन सदस्य).

(चार)—न्यासी पद या व्यवस्थापक पद के उत्तराधिकार की रीति—

उत्तराधिकार की रीति लागू नहीं वरन् संलग्न नियमावली अनुसार न्यासी पद व व्यवस्थापक पद की नियुक्ति लागू होगी. संलग्न नियमावली अनुसार लागू.

(पांच)—न्यास को सृजित करने वाले लिखितमों के विवरण प्रतियां संलग्न करें—

मौजा ग्राम रतनपुर, रा.नि.मं. व तह. शाहगढ़, जिला सागर में स्थित ख.नं. 328, 333 रकबा क्रमशः 0.44, 0.40 हेक्टे.

कुल मेड़ 2 कुल रकबा 0.84 हेक्टे. भूमि श्री देव हनुमान जी शाला बाबा मंदिर को दान में प्राप्त भूमि का रजिस्टर्ड दान–पत्र दिनांक 24 सितम्बर 2005 एवं अचल सम्पत्ति संबंधी खसरा, बी–1, नक्शा आदि संलग्न है तथा अन्य चल–अचल सम्पत्तियों की सूची (अ) और (ब) पृथक् से संलग्न है.

(छः)–न्यास से संबंधित योजना, यदि कोई हो, के विवरण प्रतियां संलग्न करें–

भविष्य की योजनायें–दानवीर / दानदाता श्रीयुत स्व. जगतनारायण श्रीवास्तव पिता स्व. श्री मुरलीधर श्रीवास्तव द्वारा मौजा ग्राम रतनपुर, रा.नि.मं. व तहसील शाहगढ़, जिला सागर में स्थित ख. नं. 328, 333 रकबा क्रमशः 0.44, 0.40 हेक्टे. कुल मेड़ 2 कुल रकबा 0.84 हेक्टे. भूमि के दानगृहिता श्री देव हनुमान जी महराज शाला बाबा मंदिर रतनपुर की उपरोक्त भूमि में बाग–बगीचा, कृषि, गौशाला, आदि उद्देश्यों की पूर्ति करना ताकि उक्त भूमि से प्राप्त आय से मंदिर में धार्मिक पूर्त, नैतिक, सामाजिक, पर्यावर्णीय, लोक हितार्थ, धार्मिक अनुष्ठानों पर व्यय किया जा सके एवं मंदिर का युक्तियुक्त संरक्षण हो सके, चूंकि वर्तमान में उपरोक्त भूमि पड़ती है, उक्त भूमि को आबाद कर कृषि योग्य बनाया जाकर न्यास के उद्देश्यों की नियमावली अनुसार पूर्ति करना व संरक्षण करना है.

(सात)–ऐसी सम्पत्ति के प्रत्येक वर्ग की अनुमानित मूल्य सहित जंगम संपत्ति–

चल–अचल संपत्ति की सूची (अ) चल संपत्ति (ब) अचल संपत्ति पृथक् से पृ. सं. (10), पृ. सं (11) पर संलग्न है.

(आठ) (क)–स्थावर सम्पत्ति के उस ग्राम या नगर जहां वह स्थित हो, नगरपालिका या सर्वेक्षण या खसरा क्रमांक क्षेत्रफल, निर्धारण और वह अधिकार जिस पर वह धारित हो, सम्पत्ति से संबंधित अधिकार अभिलेखों या नगरपालिका अभिलेखों की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें, को भी दर्शाते हुए, विवरण–प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं.

(आठ) (ख)–प्रत्येक स्थावर सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य जिसके साथ किसी विशेषज्ञ की मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न की जावे–संदर्भित भूमि की कलेक्टर रेट सूची संलग्न हैं.

(नौ)–न्यास के आय साधन–वर्तमान में आय का कोई साधन नहीं है, भविष्य में संदर्भित भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने पर आय प्राप्त होगी जो कि अनुमानित 20,000 / –रुपया अंकन बीस हजार रुपया प्रतिवर्ष हो सकती है.

(दस)–कुल वार्षिक औसत आय–भावी भविष्य में कृषि भूमि से अनुमानित 20,000 / –रुपया अंकन बीस हजार रुपया प्रतिवर्ष होगी.

(ग्यारह)–वार्षिक औसत व्यय–(क) न्यासधारियों और प्रबंधक को दिए जाने वाले पारिश्रमिक पर (कुछ भी नहीं, अवैतनिक).

(ख) स्थापना और कर्मचारी वर्ग पर (वर्तमान में कुछ भी नहीं, भविष्य में कृषि भूमि पर कार्य अनुसार दिहाड़ी मजदूरी देय होगी).

(ग) धार्मिक उद्देश्य पर (वर्तमान में कुछ भी नहीं).

(घ) पुण्यार्थ उद्देश्यों पर (वर्तमान में कुछ भी नहीं).

(ड.) विविध मदों पर (वर्तमान में कुछ भी नहीं) .

(बारह)–न्यास सम्पत्ति पर ऋण भारों, यदि कोई हो, के विवरण–

(तेरह)–न्यास सम्पत्ति से संबंधित हक विलेखों के विवरण और उस पर कब्जा रखने वाले न्यासधारियों के नाम–हक विलेखों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है, उस सम्पत्ति पर कब्जा स्वयं श्री देव हनुमान जी शाला बाबा मंदिर रतनपुर का है.

(चौदह)–वित्तीय वर्ष का सामान्य बजट–

(पन्द्रह)–अभियुक्तियां, यदि कोई हों.

सूची (अ) चल संपत्ति

क्र.	चल संपत्ति	लं.Xचौ. / भार	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री देव हनुमान जी महराज की पाशाण मूर्ति	3x2 फीट	21,000 / –रु.	शाला बाबा हनुमान
2.	श्री देव पंचमुखी हनुमान जी महराज की पाशाण मूर्ति	3.5x2.5 फीट	31,000 / –रु.	पंचमुखी हनुमान
3.	श्री देव हनुमान जी महराज की पाशाण मूर्ति	1x0.6 फीट	2,001 / –रु.	बाल रूप हनुमान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	श्री देव शंकर जी नमर्देश्वर पाशाण मूर्ति	1x1 फीट	2,100/–रु.	
5.	मुकुट के मुकुट 2 नग श्री हनुमान जी महराज के	कुल भार 100 ग्राम	5,000/–रु.	
6.	पीतल कलश 5 नग छोटे–बड़े	कुल भार 5 किलोग्राम	5,000/–रु.	
7.	चांदी का हार 2 नग	कुल भार 20 ग्राम	2,100/–रु.	
8.	चांदी की झुमर छोटी–बड़ी 10 नग	कुल भार 100 ग्राम	5,000/–रु.	
9.	पंचपत्र तांबे का 1 नग	कुल भार 50 ग्राम	150/–रु.	
10.	तांबे के लोटा 3 नग	कुल भार 750 ग्राम	900/–रु.	
11.	तांबे की तस्तरी 2 नग	कुल भार 250 ग्राम	750/–रु.	
12.	1 ग्लास, 1 लोटा, 1 थाली, 1 कसेंड़ी सभी स्टील के	कुल भार 1 किलोग्राम	200/–रु.	
13.	गरूड़ घंटी पीतल की 2 नग	कुल भार 200 ग्राम	300/–रु.	
14.	लटकाने वाले घंटा पीतल के 10 नग छोटे–बड़े	कुल भार–15 किलोग्राम	15,000/–रु.	
15.	शंख 2 नग	1.50 किलोग्राम	500/–रु.	
16.	झालर घंटा पीतल के 2 नग	3 किलोग्राम	3,000/–रु.	
17.	वस्त्र रेशमी 10 नग		5,000/–रु.	
18.	ढोलक 1 नग		1,000/–रु.	
19.	तारें पीतल की	100 ग्राम	500/–रु.	
20.	झूला (पीतल+लकड़ी)	100 ग्राम	300/–रु.	
21.	हारमोनियम 1 नग		5000/–रु.	
22.	स्पीकर सेट संपूर्ण यंत्र		14,000/–रु.	
23.	चांदनी–पर्दा 1 नग, फर्श 1 नग, चटाई 1 नग, कम्बल 1नग, गद्दा 1 नग.		6,000/–रु.	
	संपूर्ण चल संपत्तियों का कुल मूल्य		**1,25,801/–रु.**	**सभी का अनुमानित मूल्य.**

सूची (ब) अचल संपत्ति

क्र.	अचल संपत्ति	क्षेत्रफल/भार	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शाला बाबा हनुमान मंदिर पक्का सीमेंट	30x16 फीट	4,00000/–रु.	अतिप्राचीन
2.	संत कुटी कच्ची/पक्की	15x10 फीट	1,00000/–रु.	प्राचीन
3.	तुलसाना	6x6 फीट	5,000/–रु.	प्राचीन
4.	शंकर जी का चबूतरा पक्का	8x10 फीट	20,000/–रु.	प्राचीन
5.	पक्का गेट स्टील का	8x12 फीट	15,000/–रु.	
6.	यज्ञ शाला कच्ची/पक्की	40x40 फीट	20,000/–रु.	प्राचीन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	यज्ञ शाला कच्ची / पक्की	40x40 फीट	20,000 / –रु.	प्राचीन
7.	बैठक चबूतरा पक्का	30x25 फीट	30,000 / –रु.	प्राचीन
8.	श्री रामलीला मैदान	300x300 फीट		प्राचीन
9.	श्री रामलीला चबूतरा	30x20 फीट	20,000 / रु.	प्राचीन
10.	मंदिर का खाली प्रांगण	300x200 फीट		प्राचीन
	संपूर्ण अचल संपत्ति का		**6,10,000 / –रु.**	**अनुमानित मूल्य**

नियमावली

1. संस्था का नाम श्री श्री 1008 श्री देव हनुमान जी महराज शाला बाबा मंदिर लोक न्यास ग्राम रतनपुर तहसील शाहगढ़, जिला सागर मध्यप्रदेश होगा.
2. संस्था का कार्यालय ग्राम रतनपुर पोस्ट महुना म. नं........ मोहल्ले का नाम................. तहसील शाहगढ़, जिला सागर मध्यप्रदेश.
3. संस्था का कार्यक्षेत्र ग्राम रतनपुर एवं संपूर्ण प्रदेश मध्यप्रदेश होगा.
4. संस्था का उद्देश्य सार्वजनिक रूप से पुण्य अर्जन हेतु / धार्मिक पूर्त / नैतिक, सामाजिक, पर्यावर्णीय, लोक हित के उद्देश्य से नैमित्यिक पूजा, अर्चना, यज्ञ, हवन, कथा, पुराण, भजन, संकीर्तन, रामायण पाठ इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान तथा श्रीराम नवमी, श्री हनुमान जयंती, नवरात्रि, होली, झूलोत्सव, रक्षाबंधन, हरियाली तीज, दीपावली इत्यादि धार्मिक पर्व त्यौहार, महोत्सव सार्वजनिक रूप से मनाने हेतु.
5. **सदस्यता** :– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे.
   - (अ) संरक्षण सदस्य – संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 101 / –रु. या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा.
   - (ब) आजीवन सदस्य– जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रुपये 1001 / –रु. या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा. कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 1101 / –रु. या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है.
   - (स) साधारण सदस्य – जो व्यक्ति रुपये 10 / –रु. माह रुपये 120 / – प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा. साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है. जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी. ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन–पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है.
   - (द) सम्मानीय सदस्य– संस्था की प्रबन्धकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझें सम्मानीय सदस्य बना सकती है. ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा.
6. **सदस्यता की प्राप्ति** :– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा. ऐसा आवेदन–पत्र प्रबन्धकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन–पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा.
7. **सदस्यों की योग्यता** :– संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है. (1) आयु 18 वर्ष से कम न हो (2) भारतीय नागरिक हो. (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो. (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो.
8. **सदस्यता की समाप्ति** :– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :– (1) मृत्यु हो जाने पर. (2) पागल हो जाने पर (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर. (4) त्याग–पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर. (5) चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी.
9. **संस्था कार्यालय के सदस्य पंजी रखी जावेगी** जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :–
   - (1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय.
   - (2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.
   - (3) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो.

10. (अ) साधारण सभा– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे. साधारण सभा की बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी. बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा. संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी. उसमें संस्था के पदाधिकारीयों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारीयों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा.

(ब) प्रबन्धकारिणी सभा– प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी. बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी. यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की गई शर्त न होगी.

(स) विशेष – यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी. विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा. पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा.

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य** :– (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना. (ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना. (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों. (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना. (छ) बजट का अनुमोदन करना.

12. **प्रबन्धकारिणी का गठन** :– ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन समिति के पदेन सदस्य रहेंगे, नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा.

(1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष, (3) सचिव, (4) कोषाध्यक्ष, (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य 2

13. **प्रबन्ध समिति का कार्यकाल** :– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा. समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा.

14. **प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य** :–

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना.

(ब) पिछले वर्ष का आय – व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना.

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना.

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना.

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए.

(च) संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी.

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी. साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा.

15. **अध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबन्धकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा. अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा.

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष की अनुपस्थित में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा. अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा.

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार** :– (1) साधारण सभा एवं प्रबंन्धकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन–पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना.

(2) समिति का आय :– व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना.

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना. उनका निरीक्षण करना व नियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना.

(4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 1000/–रू. आहरण करने का अधिकार होगा.

18. **कोषालय के अधिकार** :– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति व्यय करना.

19. **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी. धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा. दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 1000/– रू. रहेंगे.

20. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** :– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 17 म.प्र.लो.न्या.अधि. 1951 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी.

21. **संशोधन** :– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा. यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा.

22. **विघटन** :– संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा. विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी. उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी.

23. **सम्पत्ति** :– संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी. संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी.

24. **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी.

25. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** :– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा. साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा.

26. **विवाद** :– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा. यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे. रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा. संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा.

ग्राम सभा के प्रस्ताव अनुसार श्री श्री 1008 श्री देव हनुमान जी महाराज मंदिर ग्राम नानकपुर का नवीन समिति का गठन किया जाना है, अतः उक्त संबंध में जिस किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 14 सितम्बर 2021 को उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. म्याद गुजरने पर प्रस्तुत आपत्ति पर किसी भी प्रकार से कोई विचार नहीं किया जावेगा.

इश्तहार आज दिनांक 18 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

शशि मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-560)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. बी–113–2021–22.

जारी दिनांक 09 सितम्बर, 2021

(नियम पाँच–1 देखिये)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत)

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष बादलखोरा मंदिर सुरक्षा एवं गौ सेवा समिति ट्रस्ट ग्राम बादलखोरा, तहसील बुरहानपुर व जिला बुरहानपुर द्वारा सचिव कनीराम पिता नारायण निवासी बादलखोरा, तहसील बुरहानपुर एवं जिला बुरहानपुर, का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विर्निदिष्ट सम्पत्ति के लिये " लोक न्यास " के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया. एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन–पत्र दिनांक 18 अगस्त, 2021 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. बादलखोरा मंदिर सुरक्षा एवं गौ सेवा समिति ट्रस्ट ग्राम बादलखोरा, तहसील बुरहानपुर व जिला बुरहानपुर
2. वर्किंग ट्रस्टी सचिव कनीराम पिता नारायण निवासी बादलखोरा तह. बुरहानपुर तहसील व जिला बुरहानपुर
3. चल सम्पत्ति : निरंक.
4. अचल सम्पत्ति : निरंक.

के. आर. वडोले, पंजीयक.

(G-561)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0004–बी–113(1)–2021–22. खण्डवा, दिनांक 07 सितम्बर 2021 को जारी

प्रारूप–चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

जैसाकि श्री लक्ष्मीनारायण पिता भाईराम चौधरी, निवासी खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन–पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 06 अक्टूबर 2021 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	भगवान देवनारायण गुर्जर समाज मांगलिक भवन न्यास ग्राम सिरपुर तहसील व जिला खण्डवा.
चल सम्पत्ति	:	8 लाख नगदी (शब्दों में आठ लाख रूपये)
अचल सम्पत्ति	:	निरक.

ममता खेड़े, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-562)

कार्यालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड–जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

जावरा, दिनांक 16 अगस्त 2021

फार्म 4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) के तहत]

क्र. 3030–रीडर–1–21.–आवेदक हिरालाल कुमावात पिता तुलसीराम, निवासी ग्राम मावता, तहसील पिपलौदा द्वारा धारा 4 (2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, 1951 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक 15 सितम्बर 2021 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोप. 02.30 बजे की जावेगी.

अतः, जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो प्रकरण में नियत दिनांक 15 सितम्बर 2021 को इस न्यायालय में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा नियत समय पर उपस्थित होंवे. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. न्यास का पूरा नाम : कुमावत समाज
2. चल सम्पत्ति का विवरण : 3,000/– (रुपये नगद)
3. अचल सम्पत्ति का विवरण :
   (1) ग्राम पंचायत मावता में सम्पत्ती पंजी में क्रमांक 382, भू–खण्ड कुल क्षेत्रफल 486 वर्गफीट रजिस्ट्री ई पंजीयन l &; kMP319532017A1709329
   (2) भू–खण्ड–2 रजिस्ट्री पंजीयन क्रमांक P319532017A1709158 पंचायत सम्पत्ति पंजी क्रमांक 383 कुल 243 वर्गफीट
   (3) भू–खण्ड–3 रजिस्ट्री पंजीयन क्रमांक MP319532016A1662041 ग्राम पंचायत भूखण्ड अनुक्रमांक 370 भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 6950 वर्गफीट तीनों सम्पत्ति का रजिस्ट्री के समय कुल मूल्य रूपए 54,180/–27,084/–80,000/– कुल मूल्य 1,61,264/– रूपए

हिमांशु प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-564)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग–सिहोरा, जबलपुर

प्रारूप 4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

रा.प्र.क्र. 0003–ब–113–21–22.–आवेदन ट्रस्ट जियोमिन इन्ड्रस्टीज प्राईवेट लिमिटेड एम्पलाई ग्रेच्युटी ट्रस्ट, सिहोरा खसरा नं. 547/1547/2, 550/1, 551 एवं 552 खिन्नी रोड़, धरमपुर, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर के द्वारा संदीप दास गुप्ता पिता श्री समरेन्द्र दास गुप्ता, के द्वारा न्यास पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के नियम 4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न्यासियों का नाम, पता तथा निधारित पद निम्नानुसार है :–

क्र. (1)	नाम/पिता नाम (2)	पता (3)	पद (4)
1.	श्री संदीप दास गुप्ता पिता श्री समरेन्द्र दास गुप्ता	85,बी जानकी नगर, बल्देवबाग, जबलपुर म.प्र.	न्यासी
2.	श्री चरनदीप सिंह होरा पिता श्री सरबजीत सिंह होरा	428, प्रेम नगर, मदन महल जबलपुर म.प्र.	न्यासी
3.	श्री अमित ठाकुर पिता श्री भगवानदास ठाकुर	644, पार्वती नगर, महाराजपुर, जबलपुर म.प्र.	न्यासी

अतः एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक 22 सितम्बर 2021 को विचार के लिए नियत है, कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में

कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियां/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राहय नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम एवं पता	:	जियोमिन इन्ड्रस्टीज प्राईवेट लिमिटेड एम्पलाई ग्रेच्युटी ट्रस्ट खसरा नं. 547/1,547/2, 550/1, 551 एवं 552 खिन्नी रोड, धरमपुर, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
2. न्यास की आय का साधन	:	कंपनी एवं फंड पर ब्याज द्वारा
3. चल सम्पत्ति	:	निरंक

जारी दिनांक 03 सितम्बर 2021.

आशीष पाण्डें, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(G-565)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर दिनांक 24 दिसम्बर 2020

प्रारूप–पांच

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिये].

पंजीयक,

लोक न्यास अलीराजपुर

जिला अजीराजपुर के **समक्ष**

श्री सुदामा पिता मोतीलाल भाटोद्रा आदि–14 निवासीगण अलीराजपुर, तहसील अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा–5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 01 फरवरी 2021 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियाँ करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना का लोक न्यास है और इसका गठन करती है.

अतः मैं लक्ष्मी गामड़, पंजीयक लोक न्यास अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर का लोक न्यासों का पंजीयक, न्यायालय में दिनांक 01 फरवरी 2021 को उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करती हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए.

उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम एवं पता	:	देववंशीय मालवीय लौहार समाज पब्लिक चेरेटेबल ट्रस्ट जानकी मंदिर अलीराजपुर, तहसील एवं जिला अलीराजपुर.

2. सम्पत्ति का विवरण :
(अ) चल सम्पत्ति :
(ब) अचल सम्पत्ति :
न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण :

विवरण	: अनुमानित लागत
1. संगमरमर की मुर्ति रामजी भगवान की	70,000/-
2. संगमरमर की मुर्ति लक्ष्मणजी भगवान की	
3. संगमरमर की मुर्ति जानकी माताजी की	
4. संगमरमर की मुर्ति बजरंगबली भगवान की	
5. पीतल की घण्टी	
6. पीतल की कुण्डी	
7. पीतल की मुर्ति बालमुकुन्द जी की	
8. पीतल की आरती उतारने की थाली	
9. लकडी का पाटला	
10. पीतल की थाली	
11. आचमनि	

न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण :

विवरण	: अनुमानित लागत
1. जानकी मंदिर का क्षतिग्रस्त परिसर जिसकी लम्बाई 104 फिट, चौड़ाई 31 फिट 04 इंच है मंदिर परिसर कि चर्तुसीमा :- पूर्व में - लुणकरण वाणी का मकान पश्चिम में - देवदास माली का मकान उत्तर में - विश्वकर्मा मार्ग दक्षिण में - चन्द्रशेखर आजाद मार्ग मंदिर के उपर टिन शेड लगा हुआ है एवं मंदिर क्षतिग्रस्त है कोई गर्भ ग्रह नहीं है.	55,62,000/-

लक्ष्मी गामड़, पंजीयक.

(G-566)

कार्यालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड-जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

जावरा, दिनांक 13 अगस्त 2021

फार्म 4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) के तहत]

क्र. 3032-रीडर-1-21.-आवेदक प्रदीप चौधरी पिता लालचन्द चौधरी, निवासी आजाद चौक, जावरा द्वारा धारा 4 (2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, 1951 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक 15 सितम्बर 2021 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोप. 02.30 बजे की जावेगी.

अतः, जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो प्रकरण में नियत दिनांक 15 सितम्बर 2021 को इस न्यायालय में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा नियत समय पर उपस्थित होंवे. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा.

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण

1. न्यास का पूरा नाम : श्री जैन श्वेतांबर खरतरगच्छ धार्मिक एवं पारमार्थिक

2. चल सम्पत्ति का विवरण :

(1) नगर राशि रूपये 1,87,000/–

(2) चांदी के सिंहासन, छत्र, चवर, आंगी जो आराधना स्थल पर स्थापित है अनुमानित मूल्य 75,000/–

(3) चांदी के उपासना के अन्य उपकरण अनुमानित मूल्य 25,000/–

(4) सोने की चेन नग 02 अनुमानित वजन 10 ग्राम अनुमानित मूल्य 40,000/–

3. अचल सम्पत्ति का विवरण :

(1) डॉ. काटजू मार्ग पिपली बाजार जावरा स्थित भवन क्रमांक 160 में स्थित जैन श्वेतांबर मन्दिर व उपाश्रय परिसर में स्थित श्री जैन श्वेतांबर खरतरगच्छ श्रीसंघ जावरा की दादावाड़ी (गुरू मंदिर), उपाश्रय, इससे लगत सभागार व कमरे तथा इसके मार्ग व परिसर में आवागमन, जल निकास आदि के सुखाधिकार सहित.

(2) फुटी बावड़ी शुक्रवारिया जावरा स्थित भवन नगरपालिका क्रमांक 11 जिसमें श्री आदिनाथ जिनालय व परिसर बना होकर इसे छोटा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है.

(3) जवाहर पेठ जावरा स्थित भवन नगरपालिका क्रमांक 05 पुराना क्रमांक 1899 का भाग जिसमें श्री धर्मनाथ जिनालय व परिसर बना होकर इसके नव निर्माण का कार्य प्रगति पर है.

(4) भूमि सर्वे क्रमांक 749 क्षेत्रफल 0.316 हेक्टर स्थित जावरा अबु सईद हिन्दु छीपा पुरा जिस पर प.पू.श्री. चितानंदजी मसा. की समाधि मंदिर बना हुआ होकर राजस्व अभिलेख में उनके शिष्य मंदिर श्री सीताराम जी महाराज के नाम पर दर्ज होकर इसका प्रबंध विस्मृत समय से श्री जैन श्वेतांबर खरतरगच्छ श्रीसंघ जावरा द्वारा किया जा रहा है और भूमि उसी के आधिपत्य में है.

(5) खां साहब की गली जावरा स्थित भवन नया क्रमांक 04 जिसे विचक्षण जैन भवन के नाम से जाना जाता है.

अतः आप गजट प्रकाशन करवाकर एक प्रति कार्यालय में दिनांक 15 सितम्बर 2021 के पूर्व भिजवाने का कष्ट करें. ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके.

हिमांशु प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-567)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

खरगोन, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र.–परिसमापन–2021–849.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1059 दिनांक 27 अगस्त 2016 के द्वारा कल्याणकारी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या. खरगोन तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1568 दिनांक 27 अप्रैल 2009 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री राजेन्द्र महाजन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिपालन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन तथा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का परीक्षण श्री महेन्द्र ठाकुर सहकारी निरीक्षक कक्ष प्रभारी से विगत वर्षो के अंकेक्षण टीपों के आधार पर कराया गया जिसमें यह पाया गया कि संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील रही है. अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए, कल्याणकारी महिला बहु. सहकारी संस्था

मर्या., खरगोन तहसील खरगोन का पंजीयन क्रमांक 1568 दिनांक 27 अप्रैल 2009 का रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(G-563)

खरगोन, दिनांक 2,4 अगस्त 2021

संशोधित आदेश

क्र.–परिसमापन–2021–781.– प्रशासनिक कार्यसुविधा की दृष्टि से कालम क्रमांक (02) में वर्णित संस्थाओं के पूर्व प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कालम क्रमांक (05) के नियुक्त परिसमापकों के स्थान पर कालम क्रमांक (06) अनुसार परिसमापक नियुक्त किया जाता है. नवनियुक्त परिसमापक संस्था की नियमानुसार कार्यवाही पूर्णकर दो माह में संस्था का अंतिम प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे :–

क्र.	परिसमापनाधीन सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्र. / दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. / दिनांक	पूर्वनियुक्त किये गये परिसमापक का नाम	वर्तमान में नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मातेश्वरी प्राथ.सह. उप. भण्डार मर्या., खरगोन	1617 / 11–08–2011	1059 / 27–08–2016	श्री राजेन्द्र महाजन स.नि	श्री मनोज शेल्के स.नि
2.	साथिया प्राथ.सह. उप. भण्डार मर्या., खरगोन	1431 / 14–07–2005	1059 / 27–08–2016	श्री राजेन्द्र महाजन स.नि	श्री मनोज शेल्के स.नि
3.	विद्युत नगर गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., खरगोन	922 / 24–07–2013	864 / 24–07–2013	श्री राजेन्द्र महाजन स.नि	श्री बी.एल. जामरे व.स.नि
4.	मां रेवा उद्वहन सिचांई सह. संस्था डोगरगांव	1046 / 24–05–1996	761 / 18–06–2014	श्री राजेन्द्र महाजन स.नि	श्री हुकुम यादव उप अंके.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

विनोद कुमार सिंह, उपं पंजीयक.

(G-563)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

लुनिया चौराहा, पुरानी जिला पंचायत सीहोर

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

सीहोर, दिनांक 01 सितम्बर 2021

क्र.–परिसमापन–2021– मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहां उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहां उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अहमदपुर तहसील श्यामपुर पंजीयन क्र. 1756 दिनांक 26 फरवरी 2014 इसके लेखा वर्ष 2018–19 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अहमदपुर तहसील श्यामपुर में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69–2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं, इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अहमदपुर, तहसील श्यामपुर को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अहमदपुर ,तहसील श्यामपुर को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूं. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 01 सितम्बर 2021 को जारी किया गया.

(G-572)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021– मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहां उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहां उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित चींच, तहसील नसरूल्लागंज पंजीयन क्र. 1626 दिनांक 27 सितम्बर 2012 इसके लेखा वर्ष 2018–19 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित चींच, तहसील नसरूल्लागंज में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69–2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला, सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित चींच, तहसील नसरूल्लागंज को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित चींच, तहसील नसरूल्लागंज को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूं. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 01 सितम्बर 2021 को जारी किया गया.

(G-573)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021– मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहां उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहां उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मंडी तहसील नसरूल्लागंज पंजीयन क्र. 1665 दिनांक 29 फरवरी 2015, इसके लेखा वर्ष 2018–19 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मंडी, तहसील नसरूल्लागंज में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69–2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं जिला, सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मंडी, तहसील नसरूल्लागंज को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मंडी तहसील नसरूल्लागंज को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूं. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन

की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 01 सितम्बर 2021 को जारी किया गया.

(G-574)

आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021–इस कार्यालय का आदेश क्रं.–परिसमापन–2020–1057 सीहोर दिनांक 27 जून 2020 के द्वारा प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित मुबारकपुर माण्डली तह. आष्टा, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1682 दिनांक 22 दिसम्बर 2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आ.एस. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रं. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित मुबारकपुर माण्डली तह. आष्टा, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रं. 1682 दिनांक 22 दिसम्बर 2012 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-575)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन--2021– मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

मां नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित डिमावर, तहसील नसरूल्लागंज पंजीयन क्र. 1745, दिनांक 05 फरवरी 2014, इसके लेखा वर्ष 2018–19 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार मां नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित डिमावर तहसील नसरूल्लागंज में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69–2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला, सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत मां नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित डिमावर, तहसील नसरूल्लागंज को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए मां नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित डिमावर, तहसील नसरूल्लागंज को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूं. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओं सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 01 सितम्बर 2021 को जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप पंजीयक.

(G-576)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2021.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2021—आश्विन 9, शक 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.